न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
239/2013	26/06/2007	09/09/2025

1. नन्दकिशोर दत्तक पुत्र छित्या जाति काछी निवासी पीपल्दा कलां तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

बनाम

वादी

1. रामकन्या पत्नि अमरलाल जाति काछी निवासी पीपल्दा कलां तह. पीपल्दा जिला कोटा
   1/1 द्वारकीलाल पुत्र अमरलाल जाति काछी नि0 पीपल्दा कलां तह0 पीपल्दा जिला कोटा
   1/2 नारायणलाल पुत्र अमरलाल जाति काछी नि0 पीपल्दा कलां तह0 पीपल्दा जिला कोटा
   1/3 भंवरलाल पुत्र अमरलाल जाति काछी नि0 पीपल्दा कलां तह0 पीपल्दा जिला कोटा
   1/4 कैलाशीबाई पुत्री अमरलाल जाति काछी नि0 पीपल्दा कलां तह0 पीपल्दा जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर. टी एक्ट

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पीपल्दा कलां जिला कोटा में सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नं. 653 की रकबा 39 बीघा 17 बीस्वा, कँवरी बेवा छित्या जाति काछी निवासी पीपल्दा जिला कोटा के जमाबन्दी सम्वत् 2035 से 2038 खाता सं. 28 में खाते में दर्ज थी तथा वह उस पर काबिज काश्त थी सेटलमेन्ट के बाद उपरोक्त आराजी के नये खसरा नं. 764 रकबा 6.35 है0 बनाये गये उसकी जमाबन्दी मिलान क्षेत्रफल पुरानी जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न है आगे वाद पत्र में उपरोक्त आराजी को विवाद ग्रस्त आराजी कहाँ गया है। यह कि कँवरीबाई द्वारा वादी को गोद पुत्र लिया गया था जिसका गोद नामा 20–7–87 को कँवरीबाई ने रजिस्ट्रर्ड करवाया था और कॅवरीबाई ने अपनी समस्त चल–अचल सम्पति का मालिक बनाया था। और गोदनामे में लिखा था कि जब तक मे जिन्दा हूँ तब तक उपरोक्त चल–अचल सम्पति मेरी रहेगी मेरे मरने के बाद मेरी समस्त चल–अचल सम्पति का मालिक वादी होगा। कँवरीबाई की मृत्यु हुये लगभग 15–16 वर्ष पहले हो चुकी है उसकी समस्त चल–अचल सम्पति वादी को प्राप्त हुई हैं तथा विवादग्रस्त आराजी पर वादी बेहैसियत मालिक काबिज चला आ रहा है तथा काश्त करता आ रहा है।

1. ग्राम पीपल्दा कलां तह. पीपल्दा जिला कोटा की कृषि भूमि खसरा नं0 764 रकबा 6. 35 है. का खातेदार वादी को घोषित किया जाकर उसके खाते में भूमि दर्ज की जावे तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसका अमलदरामद किया जावे। तथा प्रतिवादी क्रम 1 का नाम खाते से हटाया जावे।

2. यह कि विवादित आराजी को यदि प्रतिवादी क्रम 1 किसी दिगर व्यक्ति को रहन, बेचान आदि कर देवे तो वादी के हितों के विरुद्ध प्रत्तिवादी द्वार किया गया उक्त कार्य बेअसर घोषित किया जावे

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

3. यह कि विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त में विवादग्रस्त आराजी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार बाधा न तो प्रतिवादीगण स्वयं उत्पन्न करें और न ही प्रतिवादीगण किसी अन्य प्रतिनिधियों से करावे।

वादी की ओर से वाद श्री मनोज शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादीकम 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी वकील द्वारा प्रतिवादीकम 1 के मृतक कायम मुकाम बनाने का प्रा0 पत्र पेश किया। प्रतिवादीकम 1 के कायम मुकामान की ओर से श्री एसटीएच आब्दी एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी वकील द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। जवाब दावा निम्नानुसार है:—

1. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है।
2. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 2 कतई बेबुनियाद निराधार एवं असत्य होने के कारण स्वीकार नहीं विशेष आपत्तियां अवलोकनिय है।
3. यह कि वाद पत्र की मद नं0 3 बेबुनियाद निराधार एवं असत्य होने के कारण स्वीकार नहीं विशेष आपत्तियां अवलोकनिय है।
4. यह कि वाद पत्र की मद नं0 4 जिस तरह लिखी गई है स्वीकार नहीं है।
5. यह कि वाद पत्र की मद नं0 5 बेबुनियाद निराधार एवं असत्य होने के कारण स्वीकार नहीं विशेष आपत्तियां अवलोकनिय है।
6. यह कि वाद पत्र की मद नं0 6 कतई निराधार बेबुनियाद है एवं असत्य होने के कारण स्वीकार नही है। वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नही है। विशेष आपत्तियां अवलोकनीय है।
7. यह कि वाद पत्र की मद नं. 7 कानूनी मदे तथा वादी को राज्य सरकार 60 दिवसीय नोटिस दिया जाना जरुरी था जो नही दिया गया। इसलिए वाद चलने योग्य नहीं है।
8. यह कि वाद पत्र की मद नं. 8 कतई निराधार बेबुनियाद है एवं असत्य होने के कारण स्वीकार नही है। वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नही है। विशेष आपत्तियां अवलोकनीय है।
9. यह कि वाद पत्र की मद नं. 9 कानूनी मद है।
10. यह कि वाद पत्र की मद नं. 10 कानूनी मद है।
11. यह कि वाद पत्र की मद नं. 11 कानूनी मद है।
12. यह कि प्रार्थना वादी अस्वीकार क्योकि वाद गलत तथ्यों पर आधारित है। इसलिए वाद खारिज किये जाने योग्य है।

विशेष आपत्ति

1. यह कि वादी नन्दकिशोर छित्या का दत्तक पुत्र नहीं है। असल में वादी अमरलाल का पुत्र है। छित्या ने कभी भी गोद नहीं लिया है। छित्या का विवाह कवरीबाई जो रामकन्या की मां है उसके हुआ था। तथा छित्या की कोई औलाद न तो पुत्र पैदा नही हुआ।
2. यह कि छित्या की उसके जीवनकाल में व छित्या की पत्नि कवंरीबाई उसके जीवनकाल में सेवा सुषुशा खाने पीने को रामकन्या ने ही दिया तथा रामकन्या ही अन्तिम समय तक छित्या व कंवरी बाई के साथ रही व उन्होने की दाह संस्कार वगैरा किया। इसलिए विवादित आराजी छित्या की मृत्यु के बाद कंवरी के खाते आई तथा कंवरी बाई के मृत्यु के बाद विवादित आराजी रामकन्याबाई के खाते आई जो सही है। तथा कानूनी रुप से रामकन्या बाई कंवरीबाई की उत्तराधिकारीणी है। इन तमाम तथ्यों की पूर्ण जानकारी शुरु से अब तक वादी को रही है। अगर वादी को कोई वाद करना था तो जब विवादित आराजी कंवरी के खाते आई तब वादी को वाद करना चाहिए था। अगर उसका हक विवादित आराजी में निहीत था। इससे साफ स्पष्ट होता है। कि वादी द्वारा प्रस्तुत गोद नामा फर्जी व बनावटी है। तथा ऐसी

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

कोई रस्म गोद नही हुई जिसमें नन्दकिशोर को मृतक छित्या ने दत्तक ग्रहण किया हो।
3. यह कि वादी प्रतिवादीगण का सगा भाई है। इसलिए विवादित आराजी में वादीं एवं प्रतिवादीगण का समान हित है। वादी किसी भी तौर सम्पूर्ण आराजी का मालिक व काबिज नही है।
अतः जवाब दावा पेश कर आली जनाब से गुजारिश है। वादी का वाद खर्चा सहित खारिज फरमाया जावे।
तनकीयात कायम की गई। प्रतिवादी की ओर से प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 एवं 151 सी0पी0सी0 का प्रा0 पत्र पेश किया। वकील वादी द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। बहस प्रा0 पत्र सुनी गई। प्रा0 पत्र आदेश 14 नियम 5 स्वीकार किया जाता है। संशोधित तनकी कायम की गई।

तनकी नं0 1 आया वादी रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर ग्राम पीपल्दा की आराजी ख0नं0 764 रकबा 6.35 है0 भूमि का खातेदार/कृषक घोषित होने योग्य है तथा प्रतिवादिया कम 1 का नाम खाते से हटाने है। जिम्मेवादी
तनकी नं0 2 आया प्रतिवादीकम 1 द्वारा विवादित भूमि से संबंधित किये रहन विक्रय या अन्य दस्तावेजात वादी के हितों के विरूद्ध शून्य घोषित होने योग्य है। जिम्मेवादी
तनकी नं0 3 आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। जिम्मेवादी
तनकी नं0 4 आया वादी छीत्या का दत्तक पुत्र नहीं है। गोदनामा बनावटी है इस कारण वादी सम्पूर्ण आराजी का खाते दार घोषित होने योग्य नहीं है। जिम्मे प्रतिवादीगण
तनकी नं0 5 आया वादी वाद कब्जे के आभाव में काबिले खारिज है। जिम्मे प्रतिवादी
उक्त तनकीयात पर उभयपक्ष की साक्ष्य ग्रहण की गई। वादीपक्ष द्वारा साक्ष्य में साक्ष्यवादी शपथ–पत्र पी0डब्ल्यू0 1 नन्दकिशोर ने अपने वाद के समर्थन में वाद प्रदर्श पी–1, ऑर्डर शीट 17.10.2006 प्रदर्श पी–2, नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा संवत् 2035–38 प्रदर्श–पी 3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी–4, जमाबन्दी सेटलमेंट सम्वत् 2041–60 प्रदर्श–पी5, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–पी 6, खसरा गिरदावरी प्रदर्श पी–7, नकल जमाबन्दी सन् 2005 प्रदर्श पी–8, मूल गोद नामा प्रदर्श पी–9, फोटो कॉपी गोद नामा प्रदर्श पी 9ए, नकल नामान्तकरण प्रदर्श पी–10 है। पी0डब्ल्यू0 2 ओमप्रकाश, पी0डब्ल्यू0 3 कल्लू मय प्रदर्श दस्तावेज प्रस्तुत की गई। साक्ष्यवादी जिरह की गई। अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते अतः साक्ष्यवादी बंद की जाती है। प्रतिवादीकम 1 के कायम मुकामान को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादीकम 1 के कायम मुकामान के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई। वादी की ओर से लिखित बहस पेश की गई।
लिखित बहस निम्नानुसार हैः–
1 यह कि वाके गाम पीपल्दाकलॉ तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० में सेटलमेंट से पूर्व आराजी खसरा नम्बर 653 रकबा 39 बीघा 17 बीस्वा, कृषि भूमि कंवरी बाई बेवा छीत्या जाति काछी निवासी पीपल्दा जिला कोटा राज० की खातेदारी मे दर्ज थी नकल जमाबदी सम्वत् 2035–2038 से स्पष्ट है। सेटलमेंट के बाद उक्त कृषि भूमि के नवीन खसरा नम्बर 764 रकबा 6.35 हैक्टर बनाये गये है।
2 यह कि खातेदारी कवंरीबाई द्वारा वादी को गोद लिया गया था जिसका गोदनामा दिनांक 20.07.1987 को कंवरीबाई ने तहसील पीपल्दा मे रजिस्टर्ड करवाया था, और कंवरीबाई ने उसकी चल–अचल सम्पत्ति का मालिक वादी को बनाया था कि मेरी समस्त चल व अचल सम्पत्ति का मालिक वादी रहेगा।
3 यह कि कंवरीबाई की मृत्यु के बाद उसकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति व कृषि भूमि वादी को प्राप्त हुई है, कंवरीबाई की मृत्यु आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व हुई थी

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

तभी से विवादित कृषि भूमि पर वादी काबिज काश्त है। इस प्रकार विवादित कृषि भूमि पर मालिक की हैसियत से वादी काबिज काश्त चला आ रहा है।

4 यह कि प्रतिवादी कम 01 ने सेटलमेंट अधिकारियो से सांठ–गांठ मिलीभगत करके वादी की माता कंवरीबाई के साथ–साथ स्वयं का नाम भी राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवा लिया है और कंवरीबाई की मृत्यु के बाद प्रतिवादी कम 01 ने सम्पूर्ण कृषि भूमि पर राजस्व अधिकारियो की मिलीभगत से स्वयं का नाम दर्ज करवा लिया है। जबकी वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड गोदनामा है। इसलिये प्रतिवादी कम 01 को कोई कानूनी अधिकार नही है तथा सेटलमेंट विभाग को भी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकॉर्ड मे प्रतिवादी कम 01 का नाम दर्ज करने का कोई कानूनन अधिकार नही है। जबकी मौके पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है। इसलिये वादी प्रतिवादी कम 01 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटवाने का अधिकारी है तथा सम्पूर्ण विवादित कृषि भूमि पर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवाने का अधिकारी है।

5 यह कि प्रतिवादी कम 01 की मृत्यु हो चुकी हे उसके कायम मुकामान प्रतिवादी कम 1/1 ता 1/4 है।

6 यह कि प्रतिवादी कम 1/1 ता 1/4 ने इंतकाल नम्बर 377 दिनांक 05.09.2007 से विवादित कृषि भूमि मे अपना नाम दर्ज करवा लिया था जिसकी अपील वादी ने न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय इटावा मे प्रस्तुत की थी जो अपील स्वीकार कर दिनांक 18.09.2008 को इंतकाल नम्बर 377 दिनांक 05.09.07 को खारिज कर दिया गया है। निर्णय इंतकाल अपील पत्रावली मे संलग्न है।

7 यह कि प्रतिवादी प्रतिवादी कम 1/1 ता 1/4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हो रही है।

8 यह कि वादी ने वाद पत्र के समर्थन मे गवाह पी. डबल्यू 1, पी डबल्यू 2, प्रस्तुत किये है, साथ मे दस्तावेत प्रस्तुत किये है जो प्रदर्श पी1 से प्रदर्श पी 10 है।

9 यह कि वादी ने वाद के समर्थन मे आर.आर.टी 2001 पेज नम्बर 491 दृष्टान्त प्रस्तुत किया है जिसमे रजिस्टर्ड गोदनामा को ही माना गया है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर वादी को राजस्व रिकॉर्ड मे विवादित कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावें। तथा प्रतिवादी कम 1/1 ता 1/4 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावें। वकील वादी द्वारा लिखित बहस के साथ Karna vs kela& Anr. राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रवीजन नं0 85 सवाईमाधोपुर ऑफ 1996 डिसाईडेड ऑन 03.11.1999 की आंशिक छाया प्रतिलिपि पेश की जिसमें "हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम व हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भी पंजीकृत गोदपत्र मान्य है।"

संक्षेप में तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है:–

<u>तनकी नं0 1</u> इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 20.07.1987 को उपपंजीयक पीपल्दा द्वारा रजिस्टर्ड तिवनियत नामा की छाया प्रति, गवाह ओमप्रकाश का शपथ पत्र लिखित बयान दिनांक 07.09.2022 से कंवरी बाई बेवा छित्या द्वारा वादी नन्दकिशोर को गोद लेना सिद्ध किया है। इस आधार पर वादी नन्दकिशोर कंवरी का दत्तक पुत्र है। परन्तु किसी भी व्यक्ति के दत्तक

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

पुत्र ग्रहण कर लेने से दत्तक ग्रहिता की पुत्रियों का हक विलोपित नहीं कर सकते।
तिवनियत नामा में गोद ग्रहिता कंवरी ने स्वीकार किया है कि उसके तीन बेटीया है।
अतः तनकी नं0 एक आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं वादी का हिस्सा
1/4 एवं दत्तक ग्रहिता की शेष तीन पुत्रियों का हिस्सा 3/4 किया जाना न्यायोचित
है।

तनकी नं0 2 इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था, कि आया प्रतिवादीकम
1 द्वारा विवादित भूमि से संबंधित किये रहन विकय या अन्य दस्तावेजात वादी के
हितों के विरूद्ध शून्य घोषित होने योग्य है, का परीक्षण करने पर पाया कि जब
प्रतिवादी कम 1 सम्पूर्ण भूमि की खातेदार होने का अधिकार ही नहीं रखती है तो
फिर प्रतिवादीगण द्वारा किए गए बैंक रहन भी वादी के हक अधिकार तक शून्य होने
चाहिए। अतः यह तनकी बहक वादी तय की जाती है।

तनकी नं0 3 इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था, कि आया वादी
प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। जब वादी कंवरी
का वैद्य दत्तक पुत्र है और वर्तमान रिकॉर्ड में वादी का नाम अंकन नहीं है तब
प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः यह तनकी
बहक वादी तय की जाती है।

तनकी नं0 4 इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था, कि आया
वादी छीत्या का दत्तक पुत्र नहीं है। गोदनामा बनावटी है इस कारण वादी सम्पूर्ण
आराजी का खातेदार घोषित होने योग्य नहीं है, वादी द्वारा प्रस्तुत गोदनामा दिनांक
20.07.1987 को उपपंजीयक पीपल्दा द्वारा रजिस्टर्ड की छाया प्रति को बनावटी सिद्ध
करने में प्रतिवादीगण सफल नहीं हुए हैं। अतः यह तनकी बहक वादी तय की जाती
है।

तनकी नं0 5 इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था, कि आया
वादी वाद कब्जे के आभाव में काबिले खारिज है। विरासत के मामलों में कब्जे का
बिन्दु शून्य रहता है। अतः तनकी बहक वादी तय की जाती है।

अनुतोषः– इस तनकी को शेष तनकीयात के अवलोकनानुसार वादपत्र में वर्णित
तथ्यों, दस्तावेज, साक्ष्य के अवलोकनानुसार वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया
जाने योग्य है।

अतः प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिकी पारित किया जाता है
कि ग्राम पीपल्दा कलां के ख0नं0 764 रकबा 6.35है0 का वादी नन्दकिशोर दत्तक
पुत्र छित्या जाति काछी को हिस्सा 1/4 का खातेदार घोषित किया जाता है एवं
तहसीलदार पीपल्दा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पीपल्दा कलां के ख0नं0
764 रकबा 6.35है0 का वादी नन्दकिशोर दत्तक पुत्र छित्या जाति काछी को हिस्सा
1/4 अंकित करते हुए कंवरी की तीन पुत्रियों के वारिसान की जांच कर तीनों
पुत्रियों के या वारिसान का हिस्सा 3/4 दर्ज करें। तदनुसार डिकी जारी हो।
निर्णय आज दिनांक 09.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

डिकी मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
239/2013	26/06/2007	09/09/2025

1. नन्दकिशोर दत्तक पुत्र छित्या जाति काछी निवासी पीपल्दा कलां तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

बनाम वादी

1. रामकन्या पत्नि अमरलाल जाति काछी निवासी पीपल्दा कलां तह. पीपल्दा जिला कोटा
   1/1 द्वारकीलाल पुत्र अमरलाल जाति काछी नि0 पीपल्दा कलां तह0 पीपल्दा जिला कोटा
   1/2 नारायणलाल पुत्र अमरलाल जाति काछी नि0 पीपल्दा कलां तह0 पीपल्दा जिला कोटा
   1/3 भंवरलाल पुत्र अमरलाल जाति काछी नि0 पीपल्दा कलां तह0 पीपल्दा जिला कोटा
   1/4 कैलाशीबाई पुत्री अमरलाल जाति काछी नि0 पीपल्दा कलां तह0 पीपल्दा जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर. टी एक्ट प्रतिवादीगण

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री गिरिराज कुशवाह एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू..... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम पीपल्दा कलां के ख0नं0 764 रकबा 6.35है0 का वादी नन्दकिशोर दत्तक पुत्र छित्या जाति काछी को हिस्सा 1/4 का खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार पीपल्दा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पीपल्दा कलां के ख0नं0 764 रकबा 6.35है0 का वादी नन्दकिशोर दत्तक पुत्र छित्या जाति काछी को हिस्सा 1/4 अंकित करते हुए कंवरी की तीन पुत्रियों के वारिसान की जांच कर तीनों पुत्रियों के या वारिसान का हिस्सा 3/4 दर्ज करें। उक्तानुसार अंतिम डिकी जारी की जाती है।

यह डिकी मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 09.09.2025 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)